न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 18 / 2023 निर्णय दिनांकः 22.08.2025
(आरसीएमएस संख्या 2023 / 62)

1. लालूराम पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन चक 1–2 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मघीदेवी पत्नी लालूराम जाति जाट साकिन चक 1–2 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश
3. धर्मपाल
4. सुभाष
5. विजेता
6. मीरा
7. रामेती

पिसरान लालूराम जाति जाट साकिन चक 1–2 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजूवाला, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 23–01–2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितः–
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मनीराम जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्।
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 23–01–2023 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एकतरफा स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की चक 1–2 पी.आर.एम. के मुरब्बा नंबर 77/6 के किला नंबर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि जो भूमिहीन आवंटन होकर खातेदार है तथा चक 5 पी.आर.एम के मुरब्बा नंबर 57/57 के किला नंबर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा विशेष आवंटर होकर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि अपीलांट/अप्रार्थी की स्वयं अर्जित भूमि है तथा समस्त किस्ते खजानाराज में जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 अपीलांट के पारिवारीक सदस्य है। अपीलांट आवंटन से लेकर आदिनांक जैर अपील भूमि पर काबिज काश्त है तथा काफि खर्चा कर भूमि कर खेती लायक बनाया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 जैर अपील भूमि को हडपना चाहते है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 ने संयुक्त परिवार के सदस्य बताकर संयुक्त सम्पति में जरिये घोषणात्मक अपने हिस्से तक हक एव हिसा पाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर एकतरफा ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है उक्त एकतरफा फैसला न्याय की मंशा के प्रतिकुल पारित होन से स्वतः शुन्य है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी को उक्त दावे में पैरवी करने हेतु सम्यक तामील नहीं करवायी गई बावजूद इसके अपीलांट/अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा वाद में दिनांक 12–12–2022 को अण्डरटेंकिग दी और वाद तथा प्रार्थना पत्र की प्रति चाही गई तो अधिवक्ता को प्रमाणित प्रति लेने हेतु कहा गया तो अपीलांट ने दिनांक 03–01–2023 को आवेदन संख्या 78 मय वकालतनाम पेश किया जिस पर नकले तैयार ना की गई ओर दिनांक 23–01–2023 को वास्ते जवाब व पुर्वआदेशानुसार रही लेकिन बिना सुने इकतरफा तौर पर दिनांक 23–01–2023 को एकपक्षीय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फैसला कर दिया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 ने बोगस दस्तावेज और भूमि हडपने का प्रयास किया तो अपीलांट द्वारा दिनांक 06–07–2020 को अपनी तमाम चल अचल संपति से बेदखल कर सुचना का प्रकाशन करवाया और एक एफआईआर सं. 0008 दिनांक 17–01–2023 को थाना खाजूवाला मे मार्फत न्यायालय करवाई जो

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जैरकार है। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि सुविधा का संतुलन व अपुर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में होने के बावजूद जैर अपील आदेष पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। उक्त आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी अपीलांट को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अभिभाषक अपीलांट ने जैर अपील आदेश दिनांक 23–02–2023 को निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को भूमि का आवंटन परिवार के सभी सदस्यों के धारण की भूमि की गणना करते हुए किया गया है अतः उक्त भूमि में परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा है। भूमि का आवंटन मुखिया के नाम से किया जाता है जिसमें सबका हित एवं हिस्सा होता है अतः अपीलाधीन भूमि स्वअर्जित सम्पति नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 । पेज 209 पेश किया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट को हुए विशेष आवंटन के बारे में कथन किया कि अपीलांट को हुआ विशेष आवंटन परिवार की आय से हुआ है तथा भूमि सुधार परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर किया गया है अतः यह भी सवअर्जित सम्पति में नहीं आती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार काश्तकार है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट को जरिये आवंटन प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा खातेदार के विरूद्ध एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दू त्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दूओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तीनो बिन्दूओं पर बिना कोई विवेचन किये अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलाधीन आराजी के खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ना ही कोई इस बिन्दू पर विवेचन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी स्वअर्जित संपति है अथवा पैतृक संपति।

रेस्पोडेन्ट का अपीलाधीन आराजी में प्रथम दृष्टया मामला किस प्रकार बनता है इस संबंध में भी कोई तार्किक विवेचन नही किया गया है। इस सूरत में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–01–2023 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दूओं– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का तार्किक विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर